न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री सांवरलाल, आर.ए.एस.

मु.नं. 13/22 — दायर दिनांक 15.02.2022

ऑन लाईन नम्बर 2022/57 — निर्णय दिनांक 12.06.2025

अनवान :–

1. श्री नाथूलाल पिता धुलाजी पटेल, उम्र 58 वर्ष निवासी, खेमपुर
2. श्री भुरालाल पिता धुलाजी पटेल, उम्र 55 वर्ष निवासी, खेमपुर
3. श्रीमती कमला पिता धुलाजी पटेल उम्र 63 वर्ष निवारी खेमपुर
4. श्रीमती गंगा पुत्री धुला पटेल उम्र 48 वर्ष निवासी खेमपुर

तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

प्रार्थीगण

–: बनाम :–

1. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार दोवडा जिला डूंगरपुर राजरथान
2. श्रीमती जवेर पत्नी रतनजी पटेल उम्र 79 वर्ष निवारी खेमपुर
3. श्री रतनजी पिता लालू पटेल उम्र 81 वर्ष निवारी खेमपुर
4. श्री पेमजी पिता लालू पटेल उम्र 74 वर्ष निवासी खेमपुर
5. श्री वल्लभराम पिता पेमजी पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी खेमपुर
6. श्री गौतम पिता रतनजी पटेल उम्र 44 वर्ष निवारीयान खेमपुर

तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए सपठित धारा 209 रा.टी.एक्ट
प्रार्थना पत्र बाबत रिकॉर्ड मे रास्ता कायम कराने ।

उपस्थित :–

1. वकील प्रार्थीगण –श्री लालसिंह चुण्डावत
2. वकील विपक्षीगण –श्री प्रेमपुरी गोस्वामी

–: आदेश :–

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 2 से 6 जाति से पटेल होकर मौजा खेमपुर तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के रहने वाले होकर काश्तकार है। प्रार्थीगण के खाते–कब्जे एवं स्वामित्व की मौजा खेमपुर की आराजी सख्या 393 रकवा 2.03 दो वीघा तीन विस्वा, 394 रकवा 0.13 तेरह विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 434 रकवा 0.3500 हेक्टेयर, 435 रकवा 0.1100 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है, उपरोक्त आराजीयात प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की है, प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 434 एवं 435 में आने–जाने का एक मात्र रास्ता मौजा खेमपुर की बिलानाम आराजी नम्बर 409 रकवा जिसके हाल नम्बर 461 रकवा 5.0600 हेक्टेयर मे से होकर है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण अपने बाप दादाओं के समय से करते आ रहे है। प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 434 एवं 435 के पास विपक्षीगण संख्या 2 एवं 3 के नाम आवंटित आराजी नम्बर 2561/461 स्थित है, प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे–काश्त की आराजी

म्बर 434 एवं 435 में आने–जाने के रास्ते जो कि बिलानाम आराजी खसरा नम्बर 461 में से होकर जाता है, से विपक्षीगण संख्या 2 से 6 का कोई लेना–देना नही है किन्तु विपक्षीगण संख्या 2 से 6 प्रार्थीगण को नाजायत परेशान करने के लिये प्रार्थीगण के खेतो में आने–जाने के रास्ते पर बमाह नम्बर 2021 में करीब 4 टेक्टर पत्थर डाल दिये व प्रार्थीगण के खेतो में आने–जाने का रास्ता अवरूद्ध कर दिया, जिन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण अपने बापदादाओ के समय से बिलानाम आराजी खसरा नम्बर 461 में स्थित रास्ते का ही उपयोग अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 393 रकबा 2.03 दो बीघा तीन बिस्वा, 394 रकबा 0.13 तेरह बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 434 रकबा 0.3500 हेक्टेयर, 435 रकबा 0.1100 हेक्टेयर में जाने के लिये उपयोग करते आ रहे है। इस कारण प्रार्थी को खसरा नम्बर 461 की भूमि से प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 393 रकबा 2.03 दो बीघा तीन बिस्वा, 394 रकबा 0.13 तेरह बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 434 रकबा 0.3500 हेक्टयर, 435 रकबा 0.1100 हेक्टेयर की भूमि तक अपने हल बैलगाडी, टेक्टर थेसर, मशीन व फसल लाने–ले जाने हेतु 20 फीट चौडा रास्ता दिलाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है जो मौके पर रास्ता विद्यमान है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन नही है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के खेतो में आने जाने के रास्ते का अंकन नही होने से विपक्षीगण संख्या 2 से 6 प्रार्थीगण को जबरन नाजायज परेशान करने के लिये प्रार्थी को काश्त नही करने देना चाहते है, जिस कारण बिलानाम आराजी नम्बर 461 में से प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे–काश्त की आराजी नम्बर 434 एवं 435 में आने–जाने का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम कराया जाकर दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2020 में तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का खेमपुर को प्रार्थीगण के खेतो मे से आराजी नम्बर 434 एवं 435 में आने–जाने के लिये रास्ता दिलाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर रास्ता की चाडाई 13 फीट बताकर पत्थर गाढे गये व जिसे नक्षा ट्रेस में लाईन कर चिन्हीत किया गया है, नक्षा ट्रेस की नकल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। विपक्षिगण संख्या 2 से 6 के द्वारा प्रार्थीगण के खेतो में आने–जाने के रास्ते पर पत्थर डाल देने से प्राथीगण द्वारा तहसीलदार डूंगरपुर को पत्थर हटवाये जाने एवं रास्ता खुलवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा गिरदावर एवं पटवारी मौके पर आकर पर्चा मौका बनाया गया है किन्तु प्रार्थीगण के खेतो में आने–जाने का रास्ता नही खुलवाया गया। मौजा खेमपुर की बिलानाम आराजी नम्बर 461 मे से मौजा खेमपुर से मौजा रतनपुरा, मौजा तौरणिया जाने के लिये प्रधानमंत्री डामर सडक बनी हुई। डामर सडक से प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 434, 435 में आने–जाने के लिये आवागमन का रास्ता रिकॉर्ड में मौजुद नही है, प्रार्थीगण को बिलानाम आराजी खसरा नम्बर 461 की भूमि मे से 20 फीट चौडा रास्ते का अधिकार नही दिलाया गया तो वह अपने कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग सुचारू रूप से नही पायेगा एवं अनको भारी क्षति पहूँचेगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नही की जा

सकेगी। बिलानाम आराजी खसरा नम्बर 461 मे से रास्ता दिलाने जाने के लिये माननीय आप न्यायालय जो भी रास्ते के एवज में प्रतिकर की उचित राशि तय की जायेगी वह प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 461 की भूमि मे से प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि तक 20 बीस फीट चौडा रास्ता दिलाकर व मौके पर मौजुद इस रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना आवश्यक है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में जाने के रास्ते का अधिकार नही मिलने से प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है कि मौजा खेमपुर की बिलानाम आराजी खसरा नम्बर 461 की भूमि में से प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 393 रकबा 2.03 दो बीघा तीन बिस्वा, 394 रकबा 0.13 तेरह बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 434 रकबा 0.3500 हेक्टेयर, 435 रकबा 0.1100 हेक्टेयर कृषि भूमि तक प्रार्थीगण को उनके कृषि कार्य हेतु हल बेलगाडी ट्रेक्टर , अनाज, फसल थ्रेसर मशीन आदि लाने एवं ले जाने हेतु 20 फीट चौडा रास्ता दिलाना एवं रास्ते के अधिकार की घोषणा करना एवं राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार रास्ते को पैमुद करने का आदेश विपक्षी संख्या 1 के नाम फरमाया जावे व विपक्षीगण संख्या 2 से 6 द्वारा प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते पर डाले गये पत्थर हटवाये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

प्रार्थना पर दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र के पेश कर कथन किया गया कि विपक्षीगण द्वारा रास्ते को अवरूद्ध नही किया है। मौजा खेमपुर की आराजी संख्या 461 बिलानाम में रास्ता नही होकर अब तक विपक्षीगण अपने खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 2561 / 461 रकबा 05 कृषि भूमि एवं 5 आबादी भूमि में होकर आगे स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 434 व 435 जिस पर विगत करीब 30 वर्षो से अधिक से का विपक्षीगण का कब्जा काश्त रहा है में से होकर ही परम्परागत रूपेण आगे स्थित अपनी खातेदारी भूमि में कृषि औजारों सहित आते जाते रहे है, तथा उसी अनुरूप अब विपक्षीगण भी रास्ते के उपयोग हेतु अधिकृत है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार से परेशान नही किया जा रहा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। विपक्षीगण के द्वारा प्रति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 सपठित धारा 209 रा.टि.एक्ट 1955 एवं 151 जा.दी.दिनांक 28.03.2022 को प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि प्रार्थीगण के परिवार के सर्व श्री पेमजी पिता लालू एवं रतनजी पिता लालू के खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड ग्राम खेमपुर तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर आराजी संख्या 572, 573, 574, 575, 576, 578, 579 इत्यादि सहित भाईयों की अन्य कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान जमाबन्दी संवत 2078 अनुसार कुल किता 39 रकबा 2.2900 हेक्टेयर भूमि खाता संख्या नया 323 पुराना 200 में है। प्रार्थीगण के लिये यह अब आवश्यक हो गया है कि वे अपनी भूमि में काश्त करें तथा अपनी भूमि में जाने हेतु 20 चौडा मार्ग विपक्षीगण की आराजी संख्या 434 व 435 मे से कायम करा लेवे ताकि बाद मे किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नही हो एवं प्रार्थीगण अपनी आगे स्थिति काश्त की भूमि में शान्ति पूर्व काश्त कर सके, कृषि कार्य हेतु हल बैल ट्रेक्टर गाडी वगैरा संशाधान का लाना ले लाना

कर सके एवं अपनी फसल घास खाद बीज व अन्य उत्पादनों को बिना किसी रूकावट एवं विवाद के लाना ले जाना कर सके। विपक्षीगण के द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आराजी नम्बर 461 बिलानाम आराजी मे से होकर आराजी नम्बर 434 एवं 435 में आने–जाने के लिये प्रस्तुत किया है, अन्य कथन स्वीकार होकर जवाब है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 461 मे रास्ता चाहने का है, बिलानाम सरकार जमीन का मालिक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार होने से धारा 251 रा.टि. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश नही किया जा सकता है एवं धारा 251 रा.टि.एक्ट के तहत सुखाधिकार से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा सकते है एवं प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुखाधिकार के आधार पर प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्ररतुत प्रार्थना पत्र अपने खाते की आराजी में आने–जाने के लिये रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कराने का है जिससे प्रार्थना पत्र अन्य रूप से श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है प्रार्थीगण द्वारा प्ररतुत प्रार्थना पत्र बिलानाम आराजी नम्बर 461 मे से रास्ता प्राप्त करने एवं रेवेन्यु रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कराने का प्रस्तुत किया गया है जिससे उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3, 4 5, 8, 9, 10 में एवं दाद में स्पष्ट रूप से किया गया है। आराजी नम्बर 461 बिलानाम है जिससे विपक्षीगण संख्या 2 से 6 का कोई संबंध सरोकार नही है, विपक्षीगण संख्या 2 से 6 के खेतो में आने–जाने का रास्ता ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नम्बर 461 में बनाई गई डामर सडक जो विपक्षीगण संख्या 2 से 6 के खेत आराजी नम्बर 437 एवं 2561/461 से लग कर है उसमें से है, प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 434 एवं 435 मे से होकर विपक्षीगण संख्या 2 से 6 का अपने खेतो में आने–जाने का रास्ता कभी नही रहा है। मौजा खेमपुर की बिलानाम आराजी नम्बर 461 में डामर सडक बनी हुई, जिससे लगकर विपक्षीगण संख्या 2 से 6 की आराजीयात खसरा नम्बर 2561/461 एवं 437 स्थित है, जिसमें से होकर विपनक्षीगण संख्या 2 से 6 अपने खाते की अन्य आराजी खसरा नम्बर 436 व अन्य आराजी नम्बर में आना जाना कर रहे है। विपक्षीगण का अपने खेतो में आना जाना आवागमन बिलानाम आराजी नम्बर 461 पर बनी डामर सडक से हो रहा है विपक्षीगण बदनियति पूर्वक प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 434 एवं 435 को नुकशान पहूँचाने/खुर्द बुर्द करने के लिये आराजी नम्बर 434 एवं 435 मे से आने–जाने के लिये 20 फीट चौडे रास्ते की मॉग की जा रही है जो प्रदान किया जाना न्यायसंगत नही है। धारा 251 रा.टि.एक्ट में सुखाधिकार के आधार पर दावा प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा सुखाधिकार के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश नही कर वन्द कर दिये रास्ते को खोलने एवं रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो राजस्थान टिनेसी एक्ट की धारा 251 ए के तहत न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। आराजी नम्बर 461 बिलानाम सरकार जमीन है, जिससे विपक्षीगण संख्या 2 से 6 का कोई संबंध सरोकार नही है, विपक्षीगण बिलानाम आराजी नम्बर 461 पर अतिकम कर प्रार्थीगण के खेतो में आने जाने के आवागमन को बन्द कर देना चाहते है जिन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण

विपक्षीगण संख्या 2 से 6 की खातेदारी जमीन से रास्ता नही चाहते है वरन बिलानाम आराजी नम्बर 461 से रास्ता प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की खातेदारी की जमीन से रास्ता नही चाहकर बिलानाम आराजी नम्बर 461 की जमीन मे से रास्ता प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में एवे नक्षे में दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षीगण के द्वारा प्रार्थीगण के प्रति प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम खेमपुर की आराजी नम्बर 572, 573, 575, 576 प्रार्थी संख्या 1 रतनजी पिता लालु के नाम से खाते अवश्य दर्ज है किन्तु खसरा नम्बर 578 एवं 579 प्रार्थीगण के खाते दर्ज नही होकर श्री भाणजी पिता गोकल वगैराह के नाम से खाते दर्ज है। श्री भाणजी पिता गोकल वगैराह को प्रार्थीगण द्वारा मामले में पक्षकार नही बनाया है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के विच में आराजीयात को लेकर किसी प्रकार का आपसी सहमति एंव समझौता नही किया गया है, ना ही प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 434 एवं 435 से विपक्षीगण का उनके खाते की आराजीयात में आने जाने हेतु अवागामन का रास्ता दिया गया है। प्रार्थीगण अपने खाते की आराजीयात में आने–जाने के लिये अवागमन बिलानाम आराजी नम्बर 461 पर बनी डामर सडक से एवं बिलानाम आराजी नम्बर 577 पर बनी सडक के रास्ते से करते आ रहे है व गॉव के आस पास के अन्य खातेदारान भी अपने खाते की आराजीयात में आने–जाने का आवागमन के लिये बिलानाम आराजी 461 पर बनी डामर सडक एवं आराजी नम्बर 577 पर बनी सडक के रास्ते से होकर करते आ रहे है व गॉव के आस–पास अन्य खातेदारान भी अपने खाते की आराजीयात में आने जाने आवागमन के लिये बिलानाम आराजी खसरा नम्बरा 461 पर बनी डाखसरा नम्बर 578/409 मौके पर नही है आराजी नम्बर 578 के खातेदार भाणजी पिता गोकलजी है जो प्रार्थना पत्र के पक्षकार ही नही है। विपक्षीगण के खाते एवं कब्जे काकश्त की आराजी खसरा नम्बर 434 एवं 435 मे से होकर प्रार्थीगण का अपने खेतों में आने जाने का रास्ता रहा है। प्राथीगण विपक्षीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी में 20 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का अपने खेतो में आवागमन का रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 461 पर बनी डामर सडक से एवं 577 पर बनी कच्ची सडक से निर्विवाद रूप से चला रहा है उक्त दोनों रास्तो से होकर गॉव के अन्य काश्तकारान हल बैल टेक्टर गाडी वगैराह अपने खेतो में लाते एवं ले जाते है। प्रार्थीगण विपक्षीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 434 एवं 435 को खुर्द–बुर्द करने के लिये उसमें से होकर आवागमन के रास्ते की मांग कर रहे है जो दिया जाना न्यायसंगत नही है। प्रार्थीगण के पास अपने खाते की आराजीयात में आने–जाने के लिये सुगम रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 461 पर बनी डामर सडक एवं 577 पर बनी कच्ची सडक से वर्षो से आराम से हो रहा है। प्राथीगण द्वारा लेण्ड होल्डर तहसीदार को मामले में गलत पक्षकार बनाया गया है। पक्षकारों का कुसंयोजन किया गया है। प्रार्थीगण का अपने खेती आराजीयात में आवागम हेतु

पूर्व में रास्ता मौजुद होने से धारा 251 ए रा.टि.एक्ट में आराजीयात में आने जाने के लिये आवागमन का रास्ता कायम कराने एवं रिकॉर्ड में अंकन कराने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का अपने खाते की आराजीयात में आजे जाने हेतु आवागमन का रास्ता पूर्व से बिलानाम आराजी नम्बर 461 में बनी डामर सडक से एवं 577 पर बनी सडक से चला आ रहा है जिस हेतु प्रार्थीगण नया रास्ता विपक्षीगण से प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 578, 579 के खातेदार को मामले में पक्षकार नही बनाया है जिससे प्राथीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होकर खारीज किये जाने योग्य होने से खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में वर्णित इमदाद के संबंध में तहसीलदार दोवडा से मौका रिपोर्ट मंगवायी गई जो दिनांक 06.04.2023 को शामिल पत्रावली की गई इस पर प्रार्थीगण की आपत्ति किये जाने पर तहसीलदार दोवडा को पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश हुये व दिनांक 13.05.2024 को मौका रिपोर्ट पेश हुई। पत्रावली पर बहस सुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दोवडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 13.05.2024 एवं अन्य दस्तावेजात से यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण नाथुलाल वगैराह की आराजी नम्बर 434 व 435 में आने जाने हेतु आवागमन का रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 461 से ही है, प्रार्थीगण के पास अपने खेतो में आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है व प्रतिप्रार्थी श्रीमती जवेर की खातेदारी नम्बर 572, 573, 574, 575, 576, 579 में आने जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड दर्ज आराजी नम्बर 577 मौजुद है जिससे प्रतिप्रार्थी आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 434 व 435 में से होकर प्रति प्रार्थीगण का आवागन का मार्ग विद्यमान नही है।

मौके पर चल रहे रास्ते का आंकलन निम्नानुसार सारणी में उल्लेखित किया गया है।

ग्राम का नाम खेमपुर पटवार मण्डल खेमपुर तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर

जमाबंदी अनुसार विवरण				मौके पर चल रहे रास्ते का विवरण		
खसरा नम्बर	रकबा कुल	किस्म	खातेदार का नाम	रास्ते की चौडाई	रास्ते की लम्बाई	रास्ते का कुल क्षेत्रफल
461	5.06 हे.	पडत	बिलानाम सरकार	20 फीट	80 फीट	0.0149

उपरोक्त तथ्यों के मध्य नजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व प्रतिप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। तहसीदार दोवडा की रिपोर्ट अनुसार बिलानाम आराजी 461 रकबा 5.06 बिस्वा में से पडत 0.2600 बिस्वा में से 20 फीट चौडी एवं 80 फीट लम्बाई कुल 1600 वर्ग फीट भूमि रास्ते में उपयोग होगी, अवरूद्ध रास्ते को खुलवाया जावे। तहसीलदार दोवडा को निर्देशित किया जाता है कि मौजा खेमपुर में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेमपुर के खसरा नम्बर 434 व 435 में पहूँच हेतु बिलानाम खसरा नम्बर 461 मे से 20 फीट चौडा एवं 80 लम्बा अर्थात कुल भूमि 1600 वर्गफीट अर्थात

0.0149 हेक्टेयर का रास्ता (खसरा नम्बर 2561/461 की दक्षिण मेड के सहारे तथा खसरा नम्बर 435 पश्चिम मेड 461 से मिल रही है।) प्रार्थीगण द्वारा डी.एल.सी राशि की दुगुनी राशि रूपये 26,820/—छब्बीस हजार आठ सौ बीस मात्र राजकोष में जमा कराने पर आपके प्रस्ताव तथा नक्शा अ अनुसार वर्तमान नक्शा शीट में रास्ते का चित्रण दर्ज किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल होवें।

यह आदेश आज दिनांक 12.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

मौजा - खेमपुर
प.स. - खेमपुर
तह. - दोवड़ा
जिला - डूंगरपुर

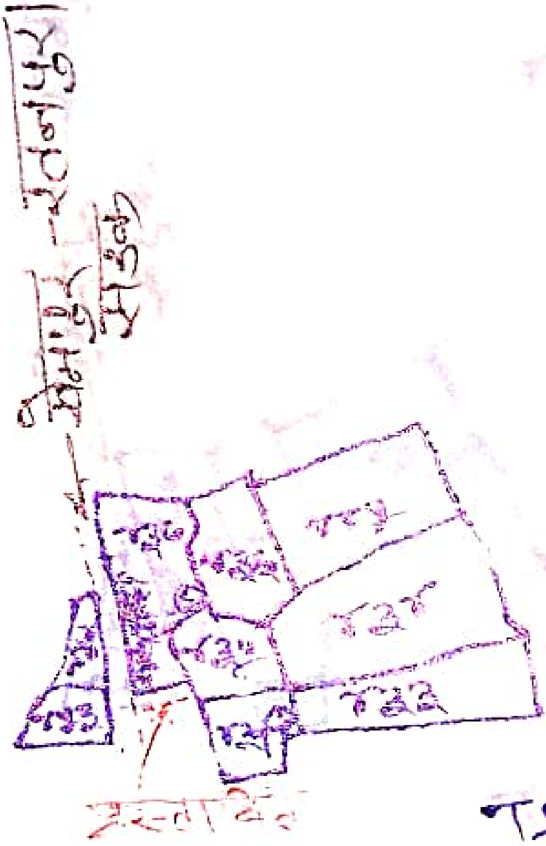

True copy
P-25 07
11.06.25

11.06.25
खेमपुर

C.S.
11.06.25
तहसीलदार
दोवड़ा

C.S.

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

मौजा - खेमपुर
प.स. - खेमपुर
तह. - दोवड़ा
जिला - डूंगरपुर

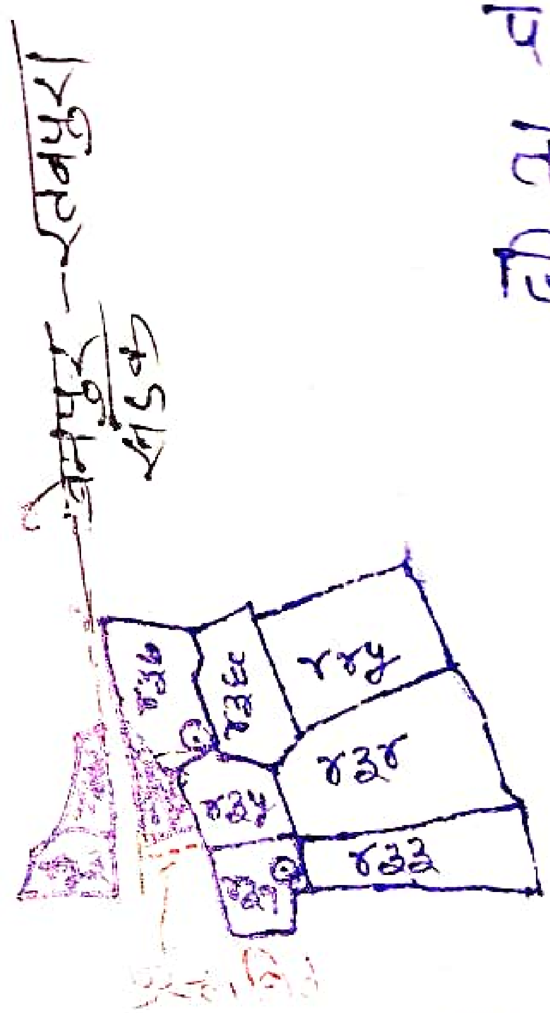

True copy.
P-35 07/11/06/25

11/06/25
खेमपुर

C.S.
11-6-25
तहसीलदार
दोवड़ा

C.S.
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर